संख्या-38/2018/615/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 06 मार्च 2018

विषयः- पूर्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना के सापेक्ष योजित कम्प्यूटर कार्मिकों के पारिश्रमिकों का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-174/स.क./सा.कम्प्यू0/2017-18 दिनांक-30.10.2017, पत्रांक-238/स.क./सा0कम्प्यू0/2017-18, दिनांक-19.01.2018 एवं पत्रांक-266/स.क./सा0कम्प्यू0/2017-18, दिनांक-23.02.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त पूर्व में श्रीट्रान इण्डिया लि0 के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर शासन/मुख्यालय/मण्डल/जनपद स्तर पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों के अवशेष वेतन रू0-81,55,347/- (रू0 इक्यासी लाख पच्चपन हजार तीन सौ सैतालिस मात्र) (माह फरवरी 2017 से जुलाई 2017 तक) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-13-00-42 के मानक मद में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-38/2018/615(1)/26-3-2018 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in